


राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स से सम्बन्धित वांछित सूचना का प्रारूप		
विभाग का नाम - .....		
1	विभाग में कुल आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या	
2	योजनान्तर्गत पंजीकृत आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या	
3	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या	
	विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या	
4	योजनान्तर्गत पंजीकृत राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या	
5	विभाग में पेंशनर्स (अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों) की कुल संख्या	
6	योजनान्तर्गत पंजीकृत पेंशनर्स की संख्या	

नोट :- उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तालिका के अनुसार वांछित सूचना यदि सम्भव हो तो अभी उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इश्योन्स (साची), चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें।



# स्टेट इम्प्लॉयज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम

राज्य स्वास्थ्य कार्ड



## आइटन-वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी की पंजीकरण प्रक्रिया

- वेबसाइट [upsects.in](http://upsects.in) खोलें एवं "DDO/TO Registration" पर क्लिक करें।
- DDO/TO Registration Form ऑनलाईन भरें और "Submit" बटन पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात् "Add Office" का फॉर्म भरें एवं "Submit" बटन पर क्लिक करें।
- Form Submit करने पर DDO/TO को उनके पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा जिसका प्रयोग कर DDO/TO अपने भरे हुये पंजीकरण फॉर्म का Print / Download कर सकेंगे।
- प्रिंट किये हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करें एवं हस्ताक्षरित फॉर्म को अपने नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित करावें।
- सत्यापित फॉर्म को स्कैन करते हुए ई-मेल आईडी support@upsects.in पर प्रेषित करें।
- सत्यापित फॉर्म की हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भी प्रेषित करें।  
"साची (State Agency for Comprehensive Health Insurance) चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग हजरतगंज, लखनऊ-226001"
- राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा DDO/TO के फॉर्म का ऑनलाईन सत्यापन करने के पश्चात् सम्बन्धित DDO/TO के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर उनका यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रेषित कर दिया जायेगा।

नोट :- फॉर्म भरते समय सीओयूजीओ मोबाइल नम्बर अंकित करें। सीओयूजीओ नम्बर उपलब्ध न होने पर ही व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर अंकित करें।

## राज्य कर्मचारी/पेंशनर्स के फॉर्म भरने की प्रक्रिया

- वेबसाइट [upsects.in](http://upsects.in) खोलें एवं "Employee Gateway" पर क्लिक करें।
- Registration Form ऑनलाईन भरें, फॉर्म भरते समय DDO/TO कोड एवं राज्य कर्मचारी तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड नम्बर एवं फोटो की आवश्यकता होगी।
- Form Submit करने पर कर्मचारी/पेंशनर्स को उनके पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा जिसका प्रयोग कर कर्मचारी/पेंशनर्स अपने भरे हुये पंजीकरण फॉर्म का Print / Download कर सकेंगे।
- हस्ताक्षरित फॉर्म को अपने DDO/TO के पास जमा करावें अथवा डाक द्वारा प्रेषित करें।
- DDO/TO द्वारा सत्यापित फॉर्म अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित कर्मचारी/पेंशनर्स को प्राप्त करायी जायेगी।
- DDO/TO द्वारा कर्मचारी/पेंशनर्स के फॉर्म को ऑनलाईन सत्यापित किया जायेगा, जिसके पश्चात् राज्य स्तर पर कार्ड प्रिंट किया जा सकेगा।
- प्रिंटिंग के पश्चात् प्लास्टिक "हेल्थ कार्ड" प्राप्त करने की प्रक्रिया [www.upsects.in](http://www.upsects.in) पर उपलब्ध होगी, इसके अतिरिक्त कर्मचारी/पेंशनर्स को निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से कार्ड स्वयं प्रिंट करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
- DDO/TO द्वारा ऑनलाईन फॉर्म सत्यापित करने के पश्चात् कर्मचारी/पेंशनर्स को ऑटो-एस0एम0एस0 द्वारा कर्मचारी/पेंशनर्स का यूजर आईडी उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगा।
- कर्मचारी/पेंशनर्स वेबसाइट [upsects.in](http://upsects.in) में लॉग-इन के लिए यूजर आईडी डालेंगे तथा ओटीपी0 बटन पर क्लिक करेंगे, इसके पश्चात् उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी0 प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से वे वेबसाइट में कार्ड प्रिंटिंग पेज पर पहुंच कर अपना हेल्थ कार्ड प्रिंट कर सकेंगे।

अधिक जानकारी के लिए :- ☎0522-6671125 पर सम्पर्क करें।

स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रेहेन्सिव हेल्थ इन्श्योरेंस

चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग हजरतगंज, लखनऊ-226001

[www.upsects.in](http://www.upsects.in)

